क्रम-संख्या-38

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी० / एल०-
डब्लू० / एन०पी०-91 / 2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 15 फरवरी, 2016

माघ 26, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 195 / 79-वि-1-16-1(क)-3-2016
लखनऊ, 15 फरवरी, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विनियोग (2015-2016 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016 पर दिनांक 13 फरवरी, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2015-2016 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2015-2016 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2016 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2015–2016 के लिए 27758,97,86,000 रुपये का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 27758,97,86,000 रुपये (रुपये सत्ताईस हजार सात सौ अट्ठावन करोड़ सत्तानवे लाख छियासी हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (₹ हजार में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	133020000	...	133020000
		पूंजी :	133040000	...	133040000
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	2484586	...	2484586
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	9045200	...	9045200
		पूंजी :	...	...	0
	योग	राजस्व :	142065200	...	142065200
		पूंजी :	135524586	...	135524586
	महायोग		277589786	0	277589786

उद्देश्य और कारण

संविधान का अनुच्छेद 204 के साथ पठित अनुच्छेद 205 के अधीन विधान सभा द्वारा अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद, राज्य विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करना आवश्यक है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश विनियोग (2015–2016 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2016 जो इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष 2015–2016 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित अनुपूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से हो सके, पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से

अब्दुल शाहिद,

प्रमुख सचिव।

No. 195(2)/LXXIX-V-1–16-1(ka)-3-2016

Dated Lucknow, February 15, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Viniyog (2015-2016 ka Dwitiya Anupurak) Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 13, 2016.

THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION (SECOND SUPPLEMENTARY 2015-2016) ACT, 2016

(U.P. Act no. 2 of 2016)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to provide for authorising payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty-first day of March, 2016.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Appropriation (Second Supplementary 2015-2016) Act, 2016.

Issue of Rs. 27758,97,86,000 out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the Year 2015-2016

2. From and out of the Consolidated Fuud of the State of Uttar Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. 27758,97,86,000 (Rs. Twenty seven thousend seven hundred fifty eight crore ninety seven lakh and eighty six thousand only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty-first day of March, 2016 in respect of the services and purposes specified in column 2 of the Schedule.

Appropriation

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2016.

SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
Grant/ Serial no.	Services and purposes		Sums not exceeding (₹ In thousands)		
			Voted by the Legislative Assembly	*Charged* on Consolidated Fund of the State	Total
09	Power Department	Revenue :	133020000	...	133020000
		Capital :	133040000	...	133040000
18	Agriculture and Other Allied Departments (Co-oprative)	Revenue :	...	...	0
		Capital :	2484586	...	2484586
51	Revenue Department (Relief on Account of Natural Calamities)	Revenue :	9045200	...	9045200
		Capital :	...	...	0
	Total	Revenue :	142065200	...	142065200
		Capital :	135524586	...	135524586
	GRAND TOTAL		277589786	*0*	277589786

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under Article 205 *read* with Article 204 of the Constitution, an Appropriation Bill has to be introduced in the State Legislature after demands for Supplementary Grants have been voted by the Legislative Assembly.

The Uttar Pradesh Appropriation (Second Supplementary 2015-2016) Bill, 2016 which provides for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh of all moneys required to meet the Supplementary Grants made by the Uttar Pradesh Legislative Assembly and the Supplementary Expenditure *Charged* on the Consolidated Fund of the State in respect of the financial year 2015-2016, is introduced accordingly.

By order,
ABDUL SHAHID,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 901 राजपत्र (हि०)–2016–(2057)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 81 सा0 विधायी–2016–(2058)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।